<u>डिस्कलेमर</u>

अंतरिम आदेश संख्या 12/2024-25 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा /20010/एमवाईटीपी/एएआई-देहरादून/सीपी-I/2024-25

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

*****

आदेश संख्या 12/2024-25

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 25.10.2024

विषय: भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (ऐरा अधिनियम, 2008) की धारा 2(i) के अंतर्गत जॉली ग्रांट हवाईअड्डा, देहरादून (डीईडी) को 'प्रमुख हवाईअड्डा' घोषित करने के संबंध में

1. एएआई का प्रस्ताव :

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने दिनांक 31.07.2024 के अपने पत्र संख्या एएआई/सीएचक्यू/प्रमुख हवाईअड्डा/टैरिफ/2024-25/332 के माध्यम से जॉली ग्रांट हवाईअड्डा, देहरादून (जिसे बाद में देहरादून हवाईअड्डा कहा गया है) को टर्मिनल भवन की निर्धारित यात्री हैंडलिंग क्षमता के आधार पर 'प्रमुख हवाईअड्डा' मानने/ घोषित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) (इसके बाद प्राधिकरण कहा गया है) को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। एएआई ने अपने कथन के समर्थन में 0.4 मिलियन यात्री प्रति वर्ष (एमपीपीए) से बढ़कर 4.7 एमपीपीए तक की निर्धारित यात्री हैंडलिंग क्षमता होने के प्रमाण के साथ आवश्यक ब्यौरा प्रस्तुत किया है।

2. प्राधिकरण की जांच :

2.1 प्राधिकरण ने एएआई के प्रस्ताव की जांच की और पाया कि देहरादून हवाईअड्डे पर यातायात की वर्तमान और भावी वृद्धि से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एएआई ने यात्री टर्मिनल भवन के विस्तार के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दो चरणों में 483.05 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया है।

2.2 वित्त वर्ष 2023-24 के यातायात संबंधी आंकड़ों के अनुसार, देहरादून हवाईअड्डे से 0.40 एमपीपीए की मौजूदा निर्धारित यात्री हैंडलिंग क्षमता के साथ वास्तव में 1.60 एमपीपीए यात्री आवागमन हुआ है। इस संबंध में, एएआई ने आईएमजी मानदंडों के अनुसार वित्त वर्ष 2033-34 तक 4.37 एमपीपीए के अनुमानित यातायात का प्रबंध करने के लिए अगले दस वर्ष की योजना को ध्यान में रखते हुए, हवाईअड्डे की निर्धारित यात्री हैंडलिंग क्षमता को 0.40 एमपीपीए की मौजूदा क्षमता से बढ़ाकर 4.47 एमपीपीए करने के संबंध 07.10.2024 को प्राधिकरण के समक्ष देहरादून हवाईअड्डे के ब्यौरेवार तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

2.3 उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण देहरादून हवाईअड्डे के संबंध में एएआई के प्रस्ताव को स्वीकार करने और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 2(i) के अनुसार इसे 'प्रमुख हवाई अड्डा' घोषित करने का निर्णय लेता है।

आदेश

3.1 प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (एफ) द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद्द्वारा जॉली ग्रांट हवाईअड्डा, देहरादून को ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 2(i) के अंतर्गत 01.04.2024 से 'प्रमुख हवाईअड्डा' घोषित करता है।

3.2 एएआई इस आदेश के जारी होने की तारीख से तीन माह के भीतर जॉली ग्रांट हवाईअड्डा, देहरादून के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटीपी प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

अध्यक्ष,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

प्रतिलिपि:

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली–110003